कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद चमोली ।

पत्रांक न–10/सीएफओ– CMI/RPG/25 दिनांक सितम्बर 8 2025।

स्वामी/प्रबन्धक,

M/S PEACE PUBLIC SCHOOL
GOPESHWAR NEAR GANESH MANDIR
DISTRICT- CHAMOLI

विषयः– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual Clearance NOC** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर –84274357 दिनांक 27.08.2025 जो कि **Uttrakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर की निरीक्षण आख्या दिनांकः–सितम्बर 07 2025 के अनुसार उक्त संस्थान मे लगाये गये समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा मेंपाये गये हैं तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक विद्यालय है। जिसमे कुल **G+2** तल है जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 4273 वर्गमी0 है,तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (**Coverd Area**) 2000 वर्गमी0 है ,भवन /संस्थान की ऊँचाई 10 मी0 है, भवन/संस्थान मे बेसमेंट नही है, भवन/संस्थान मे 26 कक्ष उपलब्ध है।

अतः उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/**xx-3/2021-2(39)/2006** देहरादून दिनांक 29 नवम्बर 2021 के अनुपालन में 8 सितम्बर 2025 से 7 सितम्बर 2028 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणो का कार्यशीलता प्रमाण– पत्र निम्न बिन्दुओ के अनुपालन के दृष्टिगत सशर्त जारी किया जाता है।

1.सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2.आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रो का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3.सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील रखनें की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबंधन को अग्निरोधक उपाय सदा करते रहना चाहिए ।
4.भवन/संस्थान मे विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी सैट बैक एरिया व निर्माण Land UseChange मैं बदलाव आदि का सत्यापन सम्बधित अधिकारी से कराया जाए।
5.इस अनापत्ति प्रमाण–पत्र का उपयोग अवैध निमार्ण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है ।
6.संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र /Self Declaration Certificate प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
7.यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र से संबन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8.संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update)स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एंव राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(गिरीश सिंह बिष्ट)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
चमोली/रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपिः–प्रभारी फायर स्टेशन **गोपेश्वर** को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्थान में अग्निशमन व्यवस्था मानकानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु समय–समय पर अमल में लाना सुनिश्चित करेंगें।